न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
मैसर्स वण्डर सीमेन्ट बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2024/641
प्रकरण संख्या 190/2024

न्य यालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 190/2024
जीसीएमएस न0 2024/641

1. मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड जरिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शैलेन्द्र सिंह शक्तावत
प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज०
............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– अधिवक्ता प्रार्थी – प्रार्थी स्वंय
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 25.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया ग्राम फलवा के हाल आराजी नम्बर 849 के गत आराजी नम्बर (साबिक) नम्बर 721 होकर इस आराजी में से श्रीमान जिला कलक्टर चित्तौडगढ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–12(58)/07/खनन/एनओसी/1412 दिनांक 27.11.2009 में मै0 वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड के नाम खनन पट्टा एम.एल.सं. 22/07 में दक्षिण दिशा रकबा 2 बीधा 17 बिस्वा मै वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड की लीज में दर्ज करने का आदेश हुआ है ।

2. उक्त आराजी नम्बर 721 के हाल आराजी नम्बर 849 सम्पूर्ण जे0के0 सीमेन्ट के नाम लीज में दर्ज होकर जे.के. नाम दर्ज लीज में से ही हमारी नई लीज 22/07 में उक्त क्षेत्र स्वीकृत होने से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ उक्त भूमि रकवा 2 बीघा 17 बिस्वा मै वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड के नाम लीज में दर्ज करने का आदेश जारी किया है। शेष सभी आराजी में भूमि आदेश के अनुसार वण्डर सीमेन्ट के नाम है। शेष सभी आराजी में भूमि आदेश के अनुसार वण्डर सीमेन्ट के नाम दर्ज हो चुकी है। अतः हाल आराजी नम्बर 849 में से दक्षिण दिशा का रकबा 0.71 हैक्टेयर भूमि मै0 वण्डर सीमेन्ट के नाम दर्ज करवाने की कृपा करावे।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायाल[illegible] हाल आराजी नम्बर 849 रकबा 4.52 किस्म[illegible]सर्स जे0के0 सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेडा के माईनिंग [illegible]राजी नम्बर 721 रकबा 18.09 बीघा [illegible] 721 का दक्षिणा भाग का हिस्सा रकबा 2.17 बीघा (0.72 हैक्टेयर) श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ के आदेश से नामान्तरण संख्या 1197 दिनांक 04[illegible]012 से वादी कम्पनी मै वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड के लिए माइनिंग लीज आरक्षित दर्ज हुआ है। जिसका असल जमाबन्दी संख्या 2059–2062 में हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण संख्या 1197 से गत आराजी आराजी नम्बर 721 में से वादी मै वण्डर सीमेन्ट के नाम दक्षिणी हिस्सा दर्ज रकबा 2.17 बीघा आगे के जमाबन्दी रोटेशन में सहवन से छुट गया है और वर्तमान में उक्त रकबा मै वण्डर सीमेन्ट की लीज एम0एल 22/07 में आता है।

गत आराजी नम्बर 721 के हाल आराजी नम्बर 849 के दक्षिणी हिस्सा के रकबा 0.72 हैक्टेयर पर एम एल 22/07 के नक्शानुसार वादी कम्पनी का कब्जा होकर मौका पर पक्की दिवार बनी हुई है। सहवन से अमल छूट जाने से आराजी नम्बर 849 का दक्षिण का रकबा 0.72 हैक्टेयर प्रस्तावित नक्शानुसार मै वण्डर सीमेन्ट लि0 वादी के नाम दर्ज होना उचित होकर रेकार्ड व मौके जॉच रिपोर्ट सेवा में पेश है।

3. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

एवं

> <u>धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance)</u> – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति [illegible] की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी [illegible] जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक [illegible] सही करेगा।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) [seal]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:50 IST
Reason: SelfAttested

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है गत आराजी नम्बर 721 के हाल आराजी नम्बर 849 के दक्षिणी हिस्सा के रकबा 0.72 हैक्टेयर पर एम एल 22/07 के नक्शानुसार वादी कम्पनी का कब्जा होकर मौका पर पक्की दिवार बनी होकर रेकार्ड में अमल हो चुका है। सहवन से असल छूट जाने से आराजी नम्बर 849 का दक्षिण का रकबा 0.72 हैक्टेयर प्रस्तावित नक्शानुसार मै वण्डर सीमेन्ट लि0 वादी के नाम इंद्राज दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम फलवा के आराजी नम्बर 849 के दक्षिणी हिस्सा के रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित नक्शानुसार मै वण्डर सीमेन्ट लि0 निम्बाहेडा के नाम दर्ज किया जाने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:08:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner